बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र02वि01–26/2003 1996– खाद्य/पटना, दिनांक– 25–04–18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
निदेशक–सह–अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह सदस्य सचिव,
खगड़िया।

विषयः– जिला उपभोक्ता परिषद् की नियमित बैठक आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांक 21411–02030 दिनांक 04.04.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र के संबंध में कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक का आयोजन किया जाना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक नहीं होने के कारण उपभोक्ता की कई समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है।

अतः जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक नियमानुसार ससमय आयोजित की जाए तथा कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत करायें।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
20/4
निदेशक–सह–अपर सचिव ।

ज्ञापांकः– प्र02वि01–26/2003 1996– खाद्य/पटना, दिनांक– 25–04–18
प्रतिलिपिः– श्री कुमार ज्ञान प्रकाश (सदस्य, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्), ग्राम– रामगंज, पो0– संसारपुर, जिला– खगड़िया को पत्रांक 21411–02030 दिनांक 04.04.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/XVIII
निदेशक–सह–अपर सचिव ।

d/Sec 2/2018/Draft 37

553

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील पर लिए गए निर्णय से सम्बंधित सूचना

अनन्य संख्या:- 42111010811701682/2A **परिवादी का नाम:-** कुमार ज्ञान प्रकाश

निर्गत संख्या:- 01411-02030 **निर्णय की तिथि:-** 04/04/2018

विभाग का नाम:- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार

निर्णय:- श्री कुमार ज्ञान प्रकाश (सदस्य, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद), ग्राम- रामगंज, पोस्ट- संसारपुर, जिला खगड़िया ने परिवाद अनन्य संख्या 4211010811701682/1A में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार (लोक शिकायत निवारण) के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन लोक प्राधिकार के द्वारा नहीं किए जाने के कारण यह द्वितीय अपील आवेदन दायर किया है।

दिनांक 27.03.2018 को अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि वे जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, खगड़िया के सदस्य हैं। वर्ष 2015 से अबतक खगड़िया जिले में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक का आयोजन मात्र तीन बार किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक नियमित रूप से नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं की कई समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया एवं प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार (लोक शिकायत निवारण) के आदेश के बावजूद जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, खगड़िया की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही है।

अभिलेख एवं प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार (लोक शिकायत निवारण) द्वारा लोक प्राधिकार- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया को जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक नियमानुसार समय-समय पर नियमित रूप से कराने का निदेश दिया गया है।

अतः प्रथम अपीलीय प्राधिकार के उक्त आदेश को संपुष्ट करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह सदस्य सचिव, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक का आयोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना अपने स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को नियमानुसार जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक का आयोजन कराने हेतु आवश्यक निर्देश देगें। इस विनिश्चय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार पटना, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं अपीलार्थी को भेजें।

3/4/2018

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का हस्ताक्षर
सचिव
नाम एवं पदनाम मोहर सहित
...द्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग